

इंदौर में मिले डेल्टा स्वरूप के दो नए मामले

इंदौर, 13 अगस्त (भाषा)।

मध्य प्रदेश में इंदौर जिले के दो और लोग कोरोना विषाणु के डेल्टा स्वरूप से संक्रमित पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

कोविड-19 की रोकथाम के लिए नोडल अधिकारी डॉ अमित मालाकार ने बताया कि दिल्ली के राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) की जांच रिपोर्ट में इंदौर जिले के दो लोग कोरोना विषाणु के डेल्टा स्वरूप से संक्रमित पाए गए हैं। इन लोगों के नमूने अन्य संक्रमितों के नमूनों के साथ जीनोम

अनुक्रमण (सीक्वेंसिंग) के लिए जुलाई में एनसीडीसी भेजे गए थे। उन्होंने बताया कि डेल्टा स्वरूप से संक्रमित पाए गए दोनों व्यक्ति इलाज के बाद महामारी से उबर चुके हैं।

मालाकार ने बताया कि इंदौर जिले के अन्य मरीजों में कोरोना विषाणु के डेल्टा स्वरूप का संक्रमण पहले भी मिल चुका है। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक कोरोना के डेल्टा प्लस स्वरूप का एक भी मामला नहीं मिला है।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, करीब 35 लाख की आबादी वाले जिले में अब तक कोविड-19 के कुल 1,53,021 मरीज मिले हैं।

RattanIndia Enterprises Limited (Formerly RattanIndia Infrastructure Limited) Extract from the Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter Ended 30 June 2021 (Rs. Lakh)				
Sr. No	Particulars	Quarter Ended		Year Ended
		30.06.2021 (Unaudited)	31.03.2021 (Audited)	31.03.2021 (Unaudited)
1	Total income from operations	100.00	10.00	-
2	Net (loss)/ profit for the period (before tax and exceptional items)	(77.66)	(26.34)	8.79
3	Net (loss)/ profit for the period before tax (after exceptional items)	(77.66)	(26.34)	8.79
4	Net (loss)/ profit for the period after tax (after exceptional items)	(82.66)	(22.25)	7.54
5	Total comprehensive (loss)/ income for the period [Comprising (loss)/ income for the period after tax and other comprehensive income (net of tax)]	(82.66)	(27.61)	7.54
6	Paid-up equity share capital (face value of Rs. 2 per equity share)	27,645.39	27,645.39	27,645.39
7	Other Equity as shown in the audited balance sheet			(19,189.25)
8	Earnings per share (EPS) (face value of Rs. 2 per equity share) - Basic (Rs.) - Diluted (Rs.)	(0.006)* (0.006)*	(0.002)* (0.002)*	0.001* 0.001*
*(EPS for the quarter is not annualised)				
Notes: (a) Additional information on standalone financial results is as follows:				
Sr. No	Particulars	Quarter Ended		Year Ended
		30.06.2021 (Unaudited)	31.03.2021 (Audited)	31.03.2021 (Unaudited)
1	Total income from operations	100.00	10.00	-
2	Net Profit/ (loss) for the period before tax	33.04	(26.22)	8.79
3	Net Profit/ (loss) for the period after tax	28.04	(22.13)	7.54
4	Total comprehensive income/ (loss) for the period [Comprising income/ (loss) for the period after tax and other comprehensive income (net of tax)]	28.04	(27.49)	7.54
(b) The above is an extract of the unaudited financial results for the quarter ended 30 June 2021 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited financial results are available on the company's website https://www.rattanindiaenterprises.com and on the Stock Exchanges website at www.bseindia.com and www.nseindia.com. (c) During the current period, the Company has acquired 623,712 equity shares constituting 33.33 % of the paid-up share capital of Revolt Intellicorp Private Limited ("RIPL") and paid application money for subscription of 317,328 share warrants for an aggregate amount of Rs 10,000 lakhs. Warrants when converted into equity shares after payment of balance consideration, shall result in the Company having aggregate stake of 43% in RIPL. Pursuant to the investment made, RIPL became an associate of the Company. Registered Office : H. No. 9, First Floor, Hauz Khas Vill., New Delhi - 110016 CIN: L40101DL2010PLC210263 Place: New Delhi Date : 13 August 2021 For and on behalf of the Board of Directors RattanIndia Enterprises Limited (Formerly RattanIndia Infrastructure Limited) Rajiv Rattan Chairman				

एलआईसी हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड बैंक ऑफिस: लक्ष्मी इंशयोरंस बिल्डिंग, ऑसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002 कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए) [(परिशिष्ट-IV) नियम 8(1) देखें]

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वितीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित (द्वितीय) अध्यादेश, 2002 (2002 का अध्यादेश 3) के प्रवर्तन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए **एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** ने लेखाओं के अधीन वर्णित राशि को कथित सूचना की तिथि से साठ दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने के लिए एक मांग सूचना जारी की। कथित कर्जदार राशि का भुगतान करने में असफल रहें इसलिए एतद्वारा कर्जदार और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियम के नियम-9 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत अधिकारों का उपयोग करते हुए प्रत्येक खाते के समुख तिथि को नीचे वर्णित सम्पत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है। विशेषकर कर्जदारों और आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित सम्पत्ति के साथ कोई भी लेनदेन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन **एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** के प्रभार और उस पर आगे ब्याज के भुगतान के अधीन होगा। जिस सम्पत्ति का कब्जा लिया गया है उसका विवरण निम्नानुसार है:

अचल सम्पत्ति का विवरण				
क्र.सं.	लोन खाता नं., कर्जदार एवं गारंटर का नाम	बंधक/चार्ज संपत्तियों का विवरण	मांग सूचना की तिथि	कब्जा की तिथि
1.	लोन खाता सं. 310700002575 कर्जदार: श्री चौंद राम सह-कर्जदार: श्रीमती सरोज	छत्त/टरेस अधिकारों के बिना दूसरी मंजिल वाली सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्से जो निर्मित सम्पत्ति में से सम्पत्ति सं. आरजेड-एफ-1/5, खसरा नम्बर 88/3 के प्लॉट नम्बर 11 और 12 पर निर्मित, ग्राम पालम के राज्यस् सम्पदा में स्थित कालोनी को महावीर एन्क्लेव, नई दिल्ली-110045 के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रफल परिमाण 826 वर्गफीट। जो घिरा है: उत्तर की ओर: रोड 12 फीट दक्षिण की ओर: अन्य की सम्पत्ति पूर्व की ओर: प्लॉट नं.आरजेडएफ-1/14 पश्चिम की ओर: प्लॉट नं.आरजेडएफ-16	15.02.2021	05.08.2021
				रु. 39,63,093.11 उस पर ब्याज एवं अन्य प्रभार।

कर्जदार का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के विमोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम के उप-अनुच्छेद 13 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

दिनांक: 05.08.2021
स्थान: नई दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी
एलआईसी हाऊसिंग फाइनेंस लि.

AJANTA SOYA LIMITED CIN:L15494RJ1992PLC016617 Regd. Office & Works : SP-916 Phase-III, Industrial Area, Bhiwadi-301019, Rajasthan Tel.: 911-6176727, 911-6128880 Corp. Office : 12th Floor, Bigjo's Tower, A-8, Netaji Subhash Place, Wazirpur District Centre, Delhi - 110034 Tel: 011-42515151, Fax : 011-42515100 E-mail : cs@ajantasoya.com, Website: www.ajantasoya.com Extract of Standalone Un-audited Financial Results for the quarter ended 30th June, 2021				
(₹ in Lakhs except EPS)				
Sl No.	Particulars	Standalone		
		Quarter ended 30.06.2021 Un-Audited	Quarter ended 30.06.2020 Un-Audited	Year ended 31.03.2021 Audited
1.	Total Income from operations*	33695.82	19153.17	93902.61
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extra Ordinary items)	1318.41	147.25	4058.28
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and /or Extraordinary items)	1318.41	147.25	4058.28
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	868.14	68.43	2514.09
5.	Total Comprehensive income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after Tax)]	868.14	68.43	2526.31
6.	Equity Share Capital	1609.66	1609.66	1609.66
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	6326.16 as on (31.03.2021)	3799.85 as on (31.03.2020)	6326.16
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -			
	Basic:	5.39	0.43	15.62
	Diluted:	5.39	0.43	15.62
Note: *Total Income from operations consists of "Revenue from Operations and Other Income". This Financial Results of the Company have been prepared in accordance with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS), prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013, and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable. The above is an extract of the detailed format of Un-audited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations,2015. The full format of the quarter ended 30th June, 2021 Un-audited financial Results are available on the Stock Exchange websites: www.bseindia.com and on Company's website www.ajantasoya.com. The above results were reviewed by the Audit committee, and thereafter approved by the Board of Directors in their meetings held on 13th August, 2021. Previous year periods figures have been regrouped/reclassified/recasted, wherever necessary.				
On behalf of the Board For Ajanta Soya Limited Sd/- Sushil Goyal Managing Director (DIN: 00125275)				
Place : New Delhi Date : 13th August, 2021				

केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा

नई दिल्ली, 13 अगस्त (भाषा)।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बच्चों के भीख मांगने के उन्मूलन को लेकर दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार और केंद्र से शुक्रवार को जवाब मांगा। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति अमित बंसल ने अजय गौतम की याचिका पर नोटिस जारी किए। पीठ ने केंद्र और दिल्ली सरकार के साथ दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग व दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। गौतम ने इस याचिका में भीख मांगने वाले बच्चों के पुनर्वास के लिए और उन लोगों को गिरफ्तार करने का भी अधिकारियों को निर्देश देने का अनुरोध किया है जो ‘बच्चों, किशोरियों और छोटे बच्चों का उपयोग करने वाली महिलाओं को भीख मांगने और...अपराध में धकेल रहे हैं’ और युवा लड़कियों का शोषण कर रहे हैं। गौतम ने आरोप लगाया कि

बच्चों के भीख मांगने का मामला

केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा

याचिका में कहा गया, ‘हर कोई जानता है कि बच्चों द्वारा भीख मांगने की इस बुराई के पीछे भीख माफिया सक्रिय हैं और दरअसल भीख मंगवाने के लिए मासूम बच्चों का अपहरण, उनको प्रशिक्षण देते हैं, मजबूर करते हैं और उनपर अत्याचार करते हैं।’ इसमें कहा गया कि छोटे बच्चों को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया जाता है और घायल किया जाता है ताकि लोगों की अधिकतम सहानुभूति प्राप्त की जा सके।

शहर के हर हिस्से में भिखारियों की मौजूदगी के बावजूद अधिकारियों ने इस बुराई को खत्म करने के लिए कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाए।

याचिका में कहा गया, ‘हर कोई जानता है कि बच्चों द्वारा भीख मांगने की इस बुराई के पीछे भीख माफिया सक्रिय हैं और दरअसल भीख मंगवाने के लिए मासूम बच्चों का

अपहरण, उनको प्रशिक्षण देते हैं, मजबूर करते हैं और उनपर अत्याचार करते हैं।’ इसमें कहा गया कि छोटे बच्चों को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया जाता है और घायल किया जाता है ताकि लोगों की अधिकतम सहानुभूति प्राप्त की जा सके। याचिका में कहा गया, ‘सर्दियों के मौसम में यह आमतौर पर देखा जाता है कि लड़कियां बिना कपड़ों के गोदी में बच्चों को लिए रहती हैं ताकि ज्यादा सहानुभूति मिले। यहां यह जिक्र करना भी संदर्भ से बाहर नहीं है कि कई मामलों में ये माफिया गिरोह और लड़कियां लोगों की सहानुभूति पाने के लिए जानबूझकर छोटे बच्चों को नशीली चीजें देती हैं जहां 9 से 12 महीने तक के बच्चों के जीवन को खतरे में डाला जाता है।’ याचिका में तर्क दिया गया है कि भारत का संविधान राज्य को बच्चों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करने के प्रयास करने और यह सुनिश्चित करने का आदेश देता है कि उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं हो।

स्वतंत्रता दिवस समारोहों से पहले कश्मीर में सुरक्षा बढ़ाई

श्रीनगर, 13 अगस्त (भाषा)।

स्वतंत्रता दिवस समारोहों से पहले कश्मीर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा बल स्थिति की निगरानी के लिए ड्रोनों के इस्तेमाल समेत ‘तकनीकी निगरानी’ की मदद ले रहे हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि समारोहों में किसी तरह की बाधा डालने की आतंकवादियों के किसी भी प्रयास को नाकाम करने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बल शहर में कई स्थानों पर मौजूद रहेंगे। घाटी में हर जगह पर भारी संख्या में उनकी तैनाती की गई है।

अधिकारियों ने बताया कि घाटी में कई स्थानों पर वाहनों की औचक जांच की जा रही है। लोगों की तलाशी ली जा रही है, खासकर 15 अगस्त के कार्यक्रमों वाले स्थानों के आसपास। उन्होंने बताया कि मुख्य कार्यक्रम यहां शेर-ए-कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में होगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे।

कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने कहा कि घाटी में सुरक्षा व्यवस्था चाकू चौबंद है। सुरक्षा बल चौकने हैं। उन्होंने यहां संवाददाताओं को बताया, ‘लोगों की तलाशी, जांच और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। हम तकनीकी निगरानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम श्रीनगर समेत सभी जिलों में किसी अभिय घटना से मुक्त कार्यक्रम सुनिश्चित करेंगे।’ लोगों को डरना नहीं चाहिए। और कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए।

गुरुग्राम के स्कूल में छात्र की मौत पर आधारित वृत्तचित्र का मामला

उच्च न्यायालय ने प्रसारण पर लगाई रोक

नई दिल्ली, 13 अगस्त (भाषा)।

दिल्ली हाई कोर्ट ने 2017 में गुरुग्राम के एक स्कूल में सात वर्षीय छात्र की कथित हत्या पर आधारित वृत्तचित्र ‘ए बिग लिटिल मर्डर’ के प्रसारण पर रोक लगा दी है। अदालत ने नेटफ्लिक्स और चैनल न्यूज एशिया (सीएनए) को उक्त वृत्तचित्र के प्रसारण से उस वक़्त तक रोक दिया है, जब तक कि स्कूल के सभी संदर्भ हटा नहीं दिए जाते।

स्कूल के ट्रस्ट की याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति जयंत नाथ ने कहा कि वृत्तचित्र में उसके मूल रूप में गोपनीयता की सुरक्षा और मामले में शामिल पक्षों की प्रतिष्ठा पर अदालत के आदेश का उल्लंघन किया गया है। अदालत ने कहा कि प्रतिवादियों (नेटफ्लिक्स, सीएनए, फिल्म निर्माता और अज्ञात पक्षों) को ‘ए बिग लिटिल मर्डर’ या इसके किसी भी संक्षिप्त संस्करण नामक वृत्तचित्र के स्ट्रीमिंग, प्रसारण आदि से रोक दिया गया है। न्यायाधीश ने 10 अगस्त को पारित अपने आदेश में कहा कि मैं स्पष्ट कर सकता हूँ कि वादी स्कूल के सभी संदर्भों को हटाने और उस हिस्से को हटाने, जहां स्कूल की इमारत की दर्शाया गया है, के बाद प्रतिवादी इस वृत्तचित्र को प्रसारित कर सकते हैं। ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ वकील राजीव विरमानी और करंजवाला एंड कंपनी के वरिष्ठ साझेदार संदीप कपूर ने किया। ट्रस्ट ने अदालत को सूचित किया कि वृत्तचित्र इस महीने की शुरुआत से सीएनए की वेबसाइट और नेटफ्लिक्स के मंच पर दर्शकों के लिए उपलब्ध था। गौरतलब है कि सितंबर 2017 में गुरुग्राम के एक छात्र की वॉशरूम में कक्षा दो के एक छात्र की गला काटकर कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी। मामले की जांच हरियाणा पुलिस से सीबीआई को स्थानांतरित कर दी गई थी।